न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 103/2006

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 रामदेव सिंह दत्तक पुत्र छिगनाराम जाट निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हणमान पुत्र लूणाराम।
2 श्रीमती रतनी देवी पत्नी लालचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण श्यामपुरा पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 सरपंच ग्राम पंचायत पचार।
4 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 हीरा (मृत)।
5/1 रूकमा पुत्री हीरा देवी पुत्री चूनाराम।
5/2 ग्यारसी पुत्री हीरा देवी पुत्री चूनाराम।
5/3 छोटी पुत्री हीरा देवी पुत्री चूनाराम।
5/4 सुगनी पुत्री हीरा देवी पुत्री चूनाराम।
5/5 पतासी पुत्री हीरा देवी पुत्री चूनाराम।
5/6 गोपाली पुत्री हीरा देवी पुत्री चूनाराम।
5/7 श्रवण पुत्र रामधन पुत्र हीरा देवी।
5/8 सुरेन्द्र पुत्र रामधन पुत्र हीरा देवी।
5/9 सुभाष पुत्र रामधन पुत्र हीरा देवी।
5/10 मन्जू देवी पत्नी रामधन पुत्र हीरा देवी समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम श्यामपुरा, पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 चूकी देवी (मृत)।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6/1 रामपाल पुत्र चूकी देवी पुत्री चूनाराम।
6/2 पुसाराम पुत्र चूकी देवी पुत्री चूनाराम।
6/3 मोहनी देवी पुत्री चूकी देवी पुत्री चूनाराम।
6/4 रामा देवी पुत्री चूकी देवी पुत्री चूनाराम।
6/5 पतासी देवी पुत्री चूकी देवी पुत्री चूनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम श्यामपुरा, पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 धापू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़ दिनांकित 18.08.2006
मुकदमा नम्बर 04/2005

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगदीश प्रसाद, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—22/1/19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2005 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट की और से एक दावा उनवानी रामदेव सिंह बनाम हणमान आदि अधिनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ दांतारामगढ़ में पेश किया था, जो विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 15.09.2006 नियत है। उक्त दावा अन्तर्गत टी आई आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आवेदन संख्या 04/05 पेश किया था जो दिनांक 18.08.2006 को अधिनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां पक्षकारों की संयुक्त कब्जे काश्त की है बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थीगण गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर बलात अतिक्रमण करना चाहते है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना आवेदन खारिज किया है जो विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट 1/8 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रेस्पोडेंट ने अपने हक हिस्से की भूमि जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र विक्रय कर क्रेता को कब्जा संभला दिया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट 1/8 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र कर क्रेता को कब्जा सम्भलाया है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के हितो का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त किया जाना शेष है इससे पूर्व यदि किसी पक्षकार द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों में वाद बाहुल्यता बढ़ेगी, जो उचित प्रतीत नही होता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को ताफैसला वाद विवादित भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं विक्रय नही करने के लिए पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/1/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर